# ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक शाखा को प्रस्तुत किए जाने वाले आवदेन पत्र का नमूना

स्वयं सहायता समूह का नाम और पता–.....पंजीकृत :हॉ/नही

गठन/सहायता की तारीख : .....

यदि पंजीकृत है तो पंजीयन संख्या और तारीख :.....

पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि भी संलग्न करें।

समूह के सदस्यों की संख्या : .....

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

.....बैंक.....शाखा दिनांक.....

## ऋण हेतु आवेदन पत्र

प्रिय महोदय,

हम उपर्युक्त स्वंय सहायता समूह के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने हेतु कुल रु0.....(रुपये.....) मात्र के ऋण हेतु आवेदन कर रहे हैं, हमारे समूह का वित्तीय विवरण *दिनांक.....की स्थिति के अनुसार दिया गया है।

2. हम बैंक द्वारा यथानिर्धारित चुकौती अनुसूची के अनुसार ऋण राशि की चुकौती करने के लिए सहमत हैं।

3. समूह के सभी सदस्यों द्वारा संपादित परस्पर करारनामा की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्वयं सहायता समूह की ओर से हमे उधार लेने का प्राधिकार प्राप्त है।

4. हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि ऊपर दिये सभी विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

5. हम एतद्द्वारा बैंक को यह प्राधिकृत करते हैं कि वे जैसा उचित समझे अपने बैंक में हमारे ऋण खाते से संबन्धित कोई विवरण या सूचना नाबार्ड सहित किसी वित्तीय संस्था या किसी अन्य एजेन्सी को प्रकट कर सकते हैं, यदि इसके साथ दी गई समूह से संबंधित कोई भी सूचना गलत पाई जाती है और/अथवा तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बैंक से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने से स्वयं सहायता समूह को अयोग्य करार दे सकता है और/अथवा इस आवेदन के तहत स्वीकृत सम्पूर्ण ऋण राशि या उसके किसी भाग को वापस मांग सकता है।

भवदीय

1– ..... 2– ..... (प्राधिकृत प्रतिनिधि)

*वित्तीय विवरण (दिनांक की स्थिति के अनुसार)

| क्रं स. | विवरण | राशि (रुपये) | क्रम सं. | विवरण | राशि (रुपये) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सदस्यों से बचत | | 4. | सदस्यों के समक्ष बकाया | |
| 2. | रिवाल्विग फण्ड (RF) से प्राप्त धनराशि | | 5. | ऋण सदस्यों से चूक की राशि (यदि कोई हो) | |
| 3. | बकाया उधार (कृपया स्रोत्र स्पष्ट करें) | | 6. | वसूली का प्रतिशत | |
| | | | 7. | रोकड़/बैंक जमा | |

1– 2– (प्राधिकृत प्रतिनिधि)

# शर्तों का फार्मेट

मैसर्स.....(स्वयं सहायता समूह का नाम) लोगों/व्यक्तियों का एक गैर–पंजीकृत समूह, जिसका कार्यालय.....में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री/श्रीमती.....(नाम).....(पदनाम) और श्री/श्रीमती.....(नाम).....(पदनाम) ने किया, जो स्व.स.स. के सभी सदस्यों द्वारा पूर्ण रुपेण प्राधिकृत है (इस प्रकार के प्राधिकरण–पत्र) की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है और वह इस करार का एक भाग है जिसे इसमें आगे "ऋणकर्ता" कहा गया है, उसके विषय या विषयवस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अभिव्यंजना न हो, का अर्थ और उसमें तत्समय गैर पंजीकृत समूह के सदस्य उन के संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी वारिस, प्रशासक और समनुदेशित शामिल है, एक पक्ष और अधिनियत के अन्तर्गत स्थापित:–

.....(बैंक का नाम) एवं कार्पोरेट निकाय, जिसका प्रधान कार्यालय..... और साथ–ही–साथ जिसकी एक शाखा.....में है, जिसे इसमें आगे "बैंक" कहा गया है, उसके विषय या विषय–वस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अभिव्यंजना न हो, का अर्थ और उसमें उत्तराधिकारी और समुदेशित है, दूसरे पक्ष के द्वारा और के बीच .....में (वर्ष)..... के.....दिन यह करार किया गया। यथा ऋणकर्ता लोगों की एक गैर पंजीकृत संस्था है, जो अपने सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को विकसित करने और सुधारने की दृष्टि से स्वंय सहायता समूह के रूप में एक दूसरे को परस्तर सहायता देने के लिए सहमत हुए हैं। यथा स्वयं सहायता समूह के रूप में एक दूसरे को परस्पर सहायता देने के लिए सहमत हुए हैं। यथा स्वयं सहायता समूह के रूप में एक दूसरे को परस्पर सहायता देने के लिए सहमत हुए हैं। यथा स्वयं सहायता समूह के रूप में बनाने पर ऋणकर्ताओं ने दिनांक.....के संकल्प (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुशरण में ऋण लेने के लिए विधिवत प्राधिकृत उक्त श्रीमती.....(नाम).....(पदनाम) द्वारा किये गये आवेदन के अनुसार बैंक से अनुरोध किया है कि वे.....रु0 का ऋण प्रदान करें। रु0.....(रूपये.....मात्र) तक की सीमा तक ऋण सुविधा प्रदान करें जिसमें से वे अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करेंगे। और यथा बैंक ऋणकर्ता को कुछ शर्तों पर ऋण प्रदान करने/ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। और यथा, बैंक और ऋणकर्ता समस्त शर्तों को लिपिबद्ध करने के इच्छुक हैं।

**अत: अब वह करार निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करता है :–**

1. बैंक रु0 .....(रुपये.....मात्र) तक मीयादी ऋण/नकद ऋण (बेजमानती) सीमा के रूप में ऋण प्रदान करने और ऋणकर्ता ऋण लेने के लिए सहमत हैं और बैंक अपने बही–खाते में ऋणकर्ता के नाम से दिनांक.....को (खाते के प्रकार का उल्लेख करें) खाता सं. .....खोला है।

2. यदि नकद ऋण सुविधा का उपयोग किया जाता है तो ऋणकर्ता संतोषप्रद ढंग से और सीमा के अधीन नकद ऋण खाते का परिचालन करेगा और ऋणकर्ता ब्याज सहित खाते में बकाया देयता की समय–समय पर अदायगी करता रहेगा।

3. यदि लिए गए मांग ऋण है, मांग पर ऋण वापस मांगने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऋणकर्ता संस्वीकृति की शर्तों के निर्धारित अवधि के भीतर ब्याज सहित ऋण और अन्य प्रकारों की चुकौती करने का वचन देता है।

4. यदि ऋणकर्ता द्वारा उपयोग की गई ऋण सुविधा मियादी ऋण है तो उसकी चुकौती इसमें नीचे दी गई चुकौती अनुसूची के उल्लिखित ढंग से की जाएगी (उल्लेख करें) इसके अतिरिक्त, ऋणकर्ता इस प्रकार के ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।

5. इसके दोनों पक्षों और उनके बीच यह स्पष्ट समझौता हुआ है कि यदि ऋणकर्ता ऋण सुविधा की राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए करने में असफल रहता है जिस प्रयोजन के लिए बैंक ऋणकर्ता को यह सुविधा उपलब्ध कराता है तो ऋणकर्ता अन्य कानूनी कार्रवाई करने के बैंक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मांग पर ब्याज के साथ बिना किसी प्रकार की आपत्ति के तत्काल चुकौती करेगा।

6. ऋणकर्ता ऋण खाते में दैनिक शेष पर परिकलित किये जाने वाले और उसमें तिमाही आधार पर नामे किये जाने वाले ऋणों पर या बैंक जिस तरह निर्णय करे ब्याज का भुगतान करेगा।

7. ऋणकर्ता अपने सदस्यों और उनके परिवारों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ऋण सुविधा की राशि का उपयोग करेगा।

8. ऋणकर्ता उपयोग किये गये ऋण की राशि की चुकौती साथ ही इस प्रकार के ऋणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।

9. ऋणकर्ता बैंक के नियमों के अनुसार ऋणकर्ता द्वारा बैंक को देय ब्याज और अन्य प्रकारों के साथ मांग पर ऋण की राशि की चुकौती करने लिए बाध्य होगा।

## चुकौती अनुसूची

(कृपया उल्लेख करें)

इसके दोनों पक्षों मे साक्ष्य स्वरूप शुरु में इसके ऊपर लिखित दिनांक .....

माह.....वर्ष .....को हस्ताक्षर किये।

स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक के वास्ते

1. प्राधिकृत प्रतिनिधि

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि

शाखा प्रबन्धक

# स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा निष्पादित परस्पर करारनामा

(सामान्य मुख्तारनामा के रूप में रूपये 62-50 पर स्टाम्पित किया जाय)

यह करारनामा सन् ..... के ..... माह .....

..... दिन को

1- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

2- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

3- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

4- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

5- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

6- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

7- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

8- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

9- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

10- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

11- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

12- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

13- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

14- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

15- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

16- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

17- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

18- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

19- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

20- श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
आयु _____ वर्ष _____ आवासीय पता _____

जो समूह क सदस्य हैं तथा जिन्हें एतद्पश्चात सामूहिक रूप में "स्वयं सहयता

तक प्रसंग या तात्पर्य के अनुसार अन्यथा अभिप्रेत न हो, उक्त स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य उसका संबंधित विधिक उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल है। अतः स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य _____ ग्राम _____ तहसील _____ जिला _____ गांव के निवासी है और एक दूसरे से परिचित हैं।

अतः ऊपर उल्लेखित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने स्वेच्छा से मिलकर एतद्पश्चात उल्लेखित शर्तों के अनुसार आपसी हितों के लिए बचत, ऋण और अन्य आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है।

अतः अब यह करारनामा इस प्रकार साक्ष्यांकित किया जाता है–

1- स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य रू० _____ (रूपये _____) मात्र की राशि अथवा समूह द्वारा जो राशि निश्चित की गई हो, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर समूह के प्राधिकृत सदस्य के पास जमा करेगा।

2- हर सदस्य स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए प्रयत्न करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो स्वयं सहायता समूह के व्यावसायिक हितों के विरूद्ध हो।

3- स्वयं सहायता समूह द्वारा करार किए गये सभी प्रकार के ऋणों के लिए उसके सभी सदस्य संयुक्त रूप और पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- स्वयं सहायता समूह द्वारा अर्जित की गई परिसंपत्तियां समूह के सभी सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में रहेगी और सामान्यतः किसी ऐसे सदस्य की अभिरक्षा में रहेगी जिसे समूह द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। ये परिसम्पित्तिया _____ स्थित कारोबार के स्थल पर रखी जाएगी और उस स्थान को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

5- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने
श्री/श्रीमती/कुमारी _____ को _____ रूप में
श्री/श्रीमती/कुमारी _____ को _____ रूप में
श्री/श्रीमती/कुमारी _____ को _____ रूप में
(कोई भी पदनाम रखा जाए) चुना है एवं नियुक्त किया है जो स्वयं सहायता समूह की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों की व्यवस्था व संचालन करेंगे और उससे संबंधित सभी प्रकार के मामलों में उसकी ओर से तथा उसके नाम से कार्य करेंगे। तथापि, प्राधिकृत प्रतिनिधियों को किसी भी समय सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। और उसी प्रकार नये प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।

6- स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य एतद्द्वारा ऐसे सभी कार्यों और विलेखों का अनुसमर्थन और अनुपालन करने के लिए सहमत हैं जो प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त गतिविधियों के हितों की रक्षा के लिए करते हैं।

7- प्राधिकृत प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह के दैनिक कार्यों के संबंध में निर्णय लेंगे और प्रत्येक प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह के दैनिक मामलों की देखभाल करने में विशेषकर निम्नलिखित गतिविधियों के निष्पादन में, सक्रीय रूप से भाग लेगा। स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य एतद्द्वारा अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करता है कि वे स्वयं सहायता समूह की ओर से ऋण हेतु आवेदन करें और इस प्रयोजन हेतु समूह की ओर से यथावश्यक करार/प्रलेख संपादित करें। प्राधिकृत प्रतिनिधि स्वयं सहायता–समूह की ओर से बैंक से ऋण राशि प्राप्त करें, उस राशि को समूह के बचत खाते में जमा करें और समूह के निर्णयों के अनुसार उसमें से सदस्यों को ऋण प्रदान करें तथा ऋण के किस्तों की वसूली की राशि को बैंक के पास स्वयं सहायता समूह के ऋण खाते में जमा करें।

8- स्वयं सहायता समूह के सदस्य एतद्द्वारा प्रतिनिधियों को निम्नलिखित कार्यों के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करते हैं :–

(i) स्वयं सहायता समूह द्वारा अनुमोदित _____ बैंक के बचत खाता मियादी जमा और अन्य खाता खोलना और उसे निम्नलिखित प्राधिकृत में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से संचालन करना।
श्री/श्रीमती/कुमारी _____
श्री/श्रीमती/कुमारी _____
श्री/श्रीमती/कुमारी _____

(ii) स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गये बचतों को उन्हें प्रदान किए गये ऋणों उनसे प्राप्त वसूलियों के सम्बन्ध से उचित एवं व्यवस्थित खाता–बही तैयार रखना या रखवाना तथा प्रतिवर्ष सम्पूर्ण लेखों को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के समक्ष उनके अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

(iii) स्वयं सहायता समूह को देय सभी प्रकार के भुगतान प्राप्त करना और समूह की ओर से अपेक्षित रसीदें या पावतियां जारी करना।

(iv) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की ओर से कोई विधिक कार्यवाही शुरू करना या प्रतिवाद करना तथा सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करना और इस प्रयोजन हेतु किसी अधिवक्ता, वकील या अभिकर्ता को लगाना या उसे विमुक्त करना तथा इससे संबंधित सभी प्रकार के विधिक व्ययों को वहन करना।

9- स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के दिवंगत हो जाने पर उसका विधिक उत्तराधिकारी सुविधाओं का हकदार होगा तथा इस करारनामा के अंतर्गत मृतक सदस्य की सभी प्रतिबद्धताओं के लिए भी जिम्मेदार होगा।

10- करार दिया जाता है कि वर्तमान सभी सदस्यों की सहमति के बिना स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में किसी भी नये व्यक्ति को शामिल नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य में स्वयं सहायता के पूर्वोक्त सदस्यों ने सन् _____ के _____ माह के _____ दिन को _____ स्थान पर अपने–अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान दर्ज किए।

| स्वयं सहायता समूह के सदस्य का नाम | हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान | स्वयं सहायता समूह के सदस्य का नाम | हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान |
|---|---|---|---|
| (1) | | (11) | |
| (2) | | (12) | |
| (3) | | (13) | |
| (4) | | (14) | |
| (5) | | (15) | |
| (6) | | (16) | |
| (7) | | (17) | |
| (8) | | (18) | |
| (9) | | (19) | |
| (10) | | (20) | |

टिप्पणी :- स्वयं सहायता समूह में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।